# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

**निगरानी संख्या – 290/2017/आबकारी/बांसवाड़ा.**

श्रीमती कलावती पटेल पत्नी श्री लाभचन्द पटेल,
रैयाना तहसील गढी जिला बांसवाडा. ......प्रार्थिया.

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये, आबकारी आयुक्त, राज. उदयपुर.
2. जिला आबकारी अधिकारी, बांसवाडा.
3. श्री बसन्त लाल पुत्र छगन लाल कलाल, गांव भीलकुंआ
   पो. गोदावरा नारंग थाना सज्जनगढ़ जिला बांसवाडा. .......अप्रार्थीगण.

**खण्डपीठ**
**श्री मदन लाल, सदस्य**
**श्री के. एल. जैन, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक ........प्रार्थिया की ओर से.
श्री प्रद्वीप विश्नोई, अभिभाषक ....अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक ........अप्रार्थी राजस्व की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 21/03/2017**

## निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थिया द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के प्रकरण क्रमांक प.29(बी)/अपील/अभि./29/आब/2016/339 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 10.11.2016 (जो दिनांक 05.12.2016 को डिस्पेच किया गया है) के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 9(क)(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। आबकारी आयुक्त द्वारा उक्त आदेश से प्रार्थिया को जिला आबकारी अधिकारी, बांसवाडा (जिसे आगे **'आबकारी अधिकारी'** कहा गया है) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2016 द्वारा आवंटित विदेशी मदिरा एवं बीयर का पंजीयन निरस्त किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा वर्ष 2016–17 के लिये भारत निर्मित विदेशी मदिरा बीयर दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन मांगे जाने पर प्रार्थिया निगराकार द्वारा नगर पालिका कुशलगढ़ की भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर दुकान के लिये आवेदन किया। प्रार्थिया का नाम आरक्षित सूची में प्रथम आरक्षित के रूप में लॉटरी दिनांक 01.03.2016 को खुली। लॉटरी में दुकान का आवंटन अप्रार्थी संख्या 3 बसन्त लाल पुत्र छगनलाल कलाल को हुआ। आबकारी अधिकारी द्वारा सफल आवेदक बसन्त

**लगातार................2**

लाल कलाल को अस्थाई रूप से स्वीकृति पत्र क्रम संख्या आब/बन्दो/2015–16 /9 दिनांक 12.03.2016 से जारी किया गया। दिनांक 11.03.2016 को आबकारी अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थिया द्वारा एक प्रतिवाद/आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया कि लॉटरी में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर दुकान कुशलगढ के सफल आवेदन अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 एवं 16/54 के तहत पुलिस थाना, सज्जनगढ में प्रकरण संख्या 144 दिनांक 07.08.2015 पंजीकृत हुआ था। जिस पर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशलगढ (बांसवाडा) के यहां आपराधिक प्रकरण क्रमांक 679/15 में दिनांक 12.12.2015 को निर्णय सुनाया जाकर अप्रार्थी संख्या–3 को दोषी माना गया। अतः अप्रार्थी संख्या 3 को आवंटित मदिरा दुकान का पंजीयन निरस्त करते हुए प्रार्थिया को उक्त क्षेत्र की भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर दुकान आवंटित की जावे। चूंकि अप्रार्थी संख्या 3 के पश्चात प्रार्थिया उसकी विधिक अधिकारी है। आबकारी अधिकारी ने तथ्यों की जांच करने के पश्चात आबकारी अधिनियम के तहत मदिरा एवं बीयर के विक्रय के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के संदर्भ में जारी विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्त के बिन्दु सख्या 1–पात्रता के उपबिन्दु(घ) के तहत अप्रार्थी संख्या 3 को आवंटित दुकान वर्ष 2016–17 के लिये अनुज्ञापत्र धारण हेतु अपात्र घोषित किया एवं अपने आदेश दिनांक 18.03.2016 द्वारा पाया कि अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 19/54 एवं 16/54 के तहत दोष सिद्ध है एवं अप्रार्थी संख्या 3 की परिवीक्षाधीन अवधि भी पूर्ण नहीं हुई है। अप्रार्थी संख्या 3 का अनुज्ञापत्र निरस्त हो जाने के फलस्वरूप प्रार्थिया स्वतः ही उक्त दुकान हेतु विधिक अधिकारी घोषित हो गई। तत्पश्चात आबकारी अधिकारी ने अपने पत्र संख्या 73 दिनांक 21.03.2016 द्वारा प्रार्थिया को कुशलगढ नगरपालिका में स्वीकृत भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर खुदरा दुकान वर्ष 2016–17 की स्वीकृति जारी की गई। आबकारी अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 3 ने एक रिट पिटीशन संख्या 3359/2016 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की, जिसको स्वीकारते हुए माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.03.2016 से अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत रिट को स्वीकार किया तथा आबकारी अधिकारी के. आदेश दिनांक 18.03.2016 को अपास्त किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2016 का उल्लेख निम्नानुसार है :–

लगातार................3

**"Learned counsel for the respondent-State after attempting to make submission for some time in response to the submissions made by counsel for the petitioner, fairly conceded that the notice dated 14.03.2016 does not fulfill the requirement of a vaild show cause notice, which could have led to passing of the order dated 18.03.2016 and subimts that the order dated 18.03.2016 may be set aside leaving it open for the respondents to take appropriate proceedings afresh.**

**In view of the submissions made, the writ petition filed by the petitioner is allowed. The order dated 18.03.2016 passed by respondents is set aside leaving it open for the respondents to take appropriate proceedings in accordance with law. It goes without saying that the consequence to the quasing of order dated 18.03.2016 would follow."**

3. माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 30.03.2016 की पालना में आबकारी अधिकारी ने अपने पत्रांक 17 दिनांक 01.04.2016 द्वारा प्रार्थिया को पूर्व में आवंटित दुकान निरस्त की, साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में आबकारी अधिकारी ने उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नोटिस जारी किये। उभयपक्षों को सुनने एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात आबकारी अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 12.04.2016 द्वारा विस्तृत आदेश पारित करते हुए अप्रार्थी संख्या 3 का अनुज्ञापत्र निरस्त किया एवं निम्नानुसार आदेश पारित किया :–

**"...इस प्रकार राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 76(बी),(सी) निम्न प्रकार है :–**

**Cancellation, modification and suspension of licences- The authority granting a licence under these rules may cancel, suspend or modify the licence -**

**(b) If the licence has been obtained by fraud or**

**(c) If the licence has been guilty of the violation of a condition of his licence for the contravention of the provision of the Act or any notification order or rule issued under the act.**

**नियम 76(बी) के अनुसार कपटपूर्वक अनुज्ञापत्र प्राप्त करने वाले का अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में श्री बसंतलाल ने झूठे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दोषसिद्ध का प्रकरण छुपाकर कपट से अनुज्ञापत्र प्राप्त करने की श्रेणी में आता है, को निरस्त किया जा सकता है। इसी नियम 76(सी) के अनुसार जो कोई भी राजस्थान आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी (gulity) पाया जाता है तो उसका अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकता है।**

लगातार................4

**इस प्रकरण में बसंतलाल ने स्वेच्छा से अदालत माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुशलगढ में धारा 16/54 एवं 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 का अपराध स्वीकार किया है तथा अदालत द्वारा दोषसिद्ध करार किया गया हैं चाहे उसे परिवीक्षा का लाभ दे दिया गया है परन्तु उसका दोषसिद्ध हो चुका है तथा उक्त नियम के तहत दोषसिद्ध होना ही अनुज्ञापत्र निरस्त करने के लिए पर्याप्त है।**

**उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि श्री बसंतलाल भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकान कुशलगढ वर्ष 2016–17 के लाईसेंस हेतु आवेदन करने के लिए अपात्र था तथा उसे उक्त दुकान हेतु प्रदत्त अनुज्ञापत्र वर्ष 2016–17 निरस्त किये जाने योग्य है अतः राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 34(1)(डी) सपठित राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 76(बी) व (सी) तथा अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 7.6 के तहत श्री बसंतलाल कलाल को स्वीकृत भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर दुकान कुशलगढ वर्ष 2016–17 का अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।''**

4. आबकारी अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 12.04.2016 के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 3 ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष सिविल रिट पिटीशन मय प्रार्थना पत्र संख्या 4162/2016 प्रस्तुत की, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय ने दिनांक 01.06.2016 को अपास्त किया। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लम्बित सिविल रिट नं. 4162/2016 को विड्रा करने बाबत एवं आबकारी आयुक्त के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने बाबत निवेदन किया गया। जिसको स्वीकारते हुए माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30.08.2016 में आदेशित किया कि आबकारी आयुक्त प्रकरण में सुनवाई करते हुए 30 दिवस के भीतर आदेश पारित करें। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर आबकारी आयुक्त ने अपने विस्तृत आदेश दिनांक 05.12.2016 द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की एवं आबकारी अधिकारी के आदेश दिनांक 12.04.2016 को अपास्त किया। विद्वान आबकारी आयुक्त के निर्णय दिनांक 05.12.2016 से व्यथित होकर प्रार्थिया ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट संख्या 14563/16 प्रस्तुत की, तत्पश्चात प्रस्तुत रिट को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 30.01.2017 को विड्रा कर लिया एवं नियमानुसार प्रार्थिया द्वारा यह निगरानी आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 05.12.2016 के विरूद्ध अधिनियम की धारा 9(क)(4) के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

**लगातार................5**

6. प्रार्थिया की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 19 / 54 एवं 16 / 54 के तहत पुलिस थाना, सज्जनगढ में प्रकरण संख्या 144 दिनांक 07.08.2015 पंजीकृत हुआ था। जिस पर न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशलगढ के यहां आपराधिक प्रकरण क्रमांक 679 / 15 में दिनांक 12.12.2015 को निर्णय सुनाया जाकर अप्रार्थी संख्या 3 को दोषी माना गया। अतः अप्रार्थी संख्या 3 को आवंटित मदिरा दुकान का पंजीयन निरस्त करते हुए प्रार्थिया उक्त क्षेत्र की भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर दुकान आवंटन हेतु अप्रार्थी संख्या 3 के पश्चात प्रार्थिया उसकी विधिक अधिकारी है। आबकारी अधिकारी ने तथ्यों की जांच करने के पश्चात अधिनियम के तहत मदिरा एवं बीयर के विक्रय के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के संदर्भ में जारी विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्त के बिन्दु सख्या 1—पात्रता के उपबिन्दु(घ) के तहत अप्रार्थी संख्या 3 को आवंटित दुकान वर्ष 2016—17 के लिये अनुज्ञापत्र धारण हेतु अपात्र घोषित किया गया है एवं अपने आदेश दिनांक 18.03.2016 द्वारा पाया कि अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 19 / 54 एवं 16 / 54 के तहत अभियोग में दोष सिद्ध व्यक्ति है एवं उसकी परिवीक्षाधीन अवधि भी पूर्ण नहीं हुई है। अतः उपरोक्त तर्को के आधार पर उन्होंने आयुक्त आबकारी के आदेश दिनांक 05.12. 2016 को निरस्त करने का अनुरोध किया। अपने तर्को के समर्थन में उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टान्तों को प्रस्तुत किया — **AIR 1975 SUPREME COURT 2216 (1974 Ker Lt 209), (1990) 2 Sureme Court Cases 426 Union of India and Othe. Vs Bakshi Ram Civil Appeal No. 1312 of 1990 dated 1.3.1990, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर आबकारी अपील संख्या 473 / 2014 / बाडमेर श्री कमल सिंह बनाम महेन्द्र सिंह निर्णय दिनांक 11.03.2015, न्यायालय आबकारी आयुक्त, उदयपुर अपील संख्या 13 / 14 श्री कृष्ण सिंह तंवर बनाम जिला आबकांरी अधिकारी निर्णय दिनांक 23.04.2014 आदि।**

7. साथ ही विद्वान अभिभाषक प्रार्थिया ने तर्क प्रस्तुत किया कि वित्तीय वर्ष 2016—17 समाप्ति पर है एवं उनके पास पूर्व का स्टॉक विक्रय हेतु पडा हुआ है। प्रार्थिया को वर्ष 2016—17 के शेष दिनों हेतु दुकान शीघ्र आवंटित करवाई जावे, जिससे कि वे अपने स्टॉक के माल को विक्रय कर सके। ऐसी स्थिति में उन्होंने आबकारी अधिकारी द्वारा पारित दोनों आदेशों को उचित बतलाते हुए आबकारी आयुक्त के विवादित आदेश दिनांक 05.12.2016 को अपास्त करने एवं प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार................6

8. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 05.12.2016 का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की प्रस्तुत निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया।

9. अप्रार्थी संख्या 3 के विद्वान अभिभाषक ने प्राथमिक आपत्ति उठाते हुए कथन किया कि प्रार्थिया को आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 10.11.2016 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा श्री बसंतलाल के पक्ष में अनुज्ञापत्र जारी कर दिया गया था एवं श्री बसंतलाल के विधिक अधिकार को आबकारी आयुक्त द्वारा पुनर्स्थापित कर दिया गया था, ऐसी स्थिति में प्रार्थिया श्रीमती कलावती पटेल की कोई वैधानिक अधिस्थिति (Locus Standi) नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **2016 (2) एस.सी.सी. 779 पूनम बनाम उत्तरप्रदेश राज्य** का हवाला देते हुए कथन किया कि प्रथम व्यक्ति के विधिक अधिकारों के निर्णय तक तृतीय पक्ष के अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। इस आधार पर निगरानी को चलने योग्य नहीं मानते हुए खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

10. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 ने अग्रिम कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 को माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुशलगढ़ द्वारा धारा 16/54 एवं 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत दोषसिद्धि करार किया गया था उसे परीविक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत सदाचरण के बंधपत्र पर रिहा कर दिया गया था ऐसी स्थिति में परीविक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 12 के तहत अब वह किसी भी तरह की अयोग्यता से मुक्त हो चुका था क्योंकि धारा 12 में विशिष्ठ तौर पर किसी भी तरह के प्रावधानों के होते हुए धारा 3 एवं धारा 4 में लाभ दिये जाने पर अयोग्यताओं से मुक्ति दिये जाने का प्रावधान करती है अतः आबकारी आयुक्त द्वारा किया गया आदेश उचित बताया है।

11. अप्रार्थी संख्या 3 के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इसी आधार पर श्रीमती कलावती पटेल की वैधानिक अवस्थिति नहीं मानते हुए उन्हें सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया था।

12. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

13. अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जो प्रार्थिया श्रीमती कलावती की वैधानिक अवस्थिति (Locus Standi) को लेकर जो प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की गयी है उस पर विचार किया गया, तब पाया गया कि उक्त निगरानी अधीन आदेश में

**लगातार................7**

आबकारी आयुक्त द्वारा श्रीमती कलावती को पक्षकार के रूप में स्वीकार किया गया था क्योंकि अप्रार्थी संख्या 3 के वैधानिक अधिकार के सम्बन्ध में निर्णय किये जाने पर उक्त प्रार्थिया श्रीमती कलावती के अधिकार स्वतः समाप्त हो रहे थे। चूंकि आबकारी आयुक्त के उक्त विवादित आदेश दिनांक 10.11.2016 से अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में निर्णय कर दिया गया है जिससे प्रार्थिया कलावती देवी के अनुज्ञापत्र निरस्त हो जाने से उसके व्यावसायिक अधिकार समाप्त हो गये हैं जिसके विरूद्ध अब श्रीमती कलावती को निगरानी किये जाने का अधिकार प्राप्त हुआ है ऐसी स्थिति में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति को अस्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थिया की निगरानी पर सुनवाई किया जाना विधिक पाया जाता है।

14. यह टिप्पणी करना उचित है कि इस निगरानी के परिणामस्वरूप अप्रार्थी सख्या 3 के पक्ष में दिये गये निर्णय अविधिक पाया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थिया श्रीमती कलावती के विधिक अधिकार पुनर्स्थापित होते हैं, इस आधार पर भी प्रार्थिया की निगरानी का अधिकार विधिसम्मत होने से प्राथमिक आपत्ति चलने योग्य नहीं है।

**15. प्रकरण में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि वर्ष 2016—17 में कुशलगढ क्षेत्र की भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकान का अनुज्ञापत्र धारण करने हेतु कौन पात्र है — प्रार्थिया अथवा अप्रार्थी संख्या 3 तथा इस सम्बन्ध में जारी आबकारी आयुक्त के अपील आदेश उचित है या नहीं।**

16. प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 एवं 16/54 के तहत पुलिस थाना, सज्जनगढ में प्रकरण संख्या 144 दिनांक 07.08.2015 पंजीकृत हुआ, जिस पर न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशलगढ के यहां आपराधिक प्रकरण क्रमांक 679/15 में दिनांक 12.12.2015 को निर्णय सुनाया जाकर अप्रार्थी संख्या 3 को दोषी माना गया एवं अप्रार्थी संख्या 3 को आवंटित मदिरा दुकान का पंजीयन निरस्त करते हुए प्रार्थिया को उक्त क्षेत्र की भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर दुकान आवंटन हेतु पात्र माना गया, चूंकि अप्रार्थी संख्या 3 के पश्चात प्रार्थिया उसकी विधिक अधिकारी थी। आबकारी अधिकारी ने तथ्यों की जांच करने के पश्चात अधिनियम के तहत मदिरा एवं बीयर के विक्रय के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के संदर्भ में जारी विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्त के बिन्दु सख्या 1—पात्रता के उपबिन्दु(घ) के तहत अप्रार्थी संख्या 3 को आवंटित दुकान वर्ष 2016—17 के लिये अनुज्ञापत्र धारण हेतु अपात्र घोषित किया गया है एवं अपने आदेश दिनांक

लगातार................8

18.03.2016 द्वारा पाया कि अप्रार्थी संख्या 3 आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 एवं 16/54 के तहत अभियोग में दोष सिद्ध व्यक्ति है एवं अप्रार्थी संख्या 3 की परीविक्षाधीन अवधि भी पूर्ण नहीं हुई है। आबकारी आयुक्त ने जिला आबकारी अधिकारी द्वारा बनाये गये अभियोग अधिनियम की धारा 34(1)(डी) सपठित नियम 76(बी) व (सी) तथा अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 7.6 के तहत कोई 'निर्णय पारित नहीं करते हुए एवं समस्त विधिक तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपना आदेश दिनांक 05.12.2016 पारित किया है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 एवं 16/54 के तहत अभियोग दोष सिद्ध व्यक्ति है एवं अप्रार्थी संख्या 3 की परीविक्षाधीन अवधि भी पूर्ण नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में उसको पुनः अनुज्ञापत्र जारी किया जाना नियमों की अवहेलना प्रतीत होती है।

17. **आबकारी अधिनियम की धारा 16 का उल्लेख निम्नानुसार है :–**

16. Manufacture of excisable article prohibited except under the provisisons of this Act.-

(1) (a) No excisable article shall be manufatctured,

(b) No hemp plant (Cannabis Sative) shall be cultivated,

(c) No portion of the hemp plant (Cannabis Sative) from which intoxicating drug can be manufacutured shall be collected,

(d) No liquor shall be bottled for sale,

(e) No Tari producing tree shall be tapped,

(f) No Tari shall be drawn from any tree, and

(g) No person shall use, keep or have in his possession any materials, still, utensil, implement, instrumet or apparatus whatsoever for the purposes of manufacturing any excisable article.

except under the authority and subject to the terms & conditions of a licence granted in that behalf by the Excise Commissioner [or by an Excise officer duly empowered in this behalf].

(2) No distillery, berwery or pot-still shall be constructed or worked except under the authority and subject to the terms and conditions of a licence granted in that behalf by the Excise Commissioner.

**आबकारी अधिनियम की धारा 19 का उल्लेख निम्नानुसार है :–**

19. Possession of excisable articles in excess of the quantity prescribed by the 2[Sate Government] prohibited except under permission.-

लगातार................9

(1) No person not being licensed to manufacture, cultivate, collect or sell any excisable article, shall have in his possession any quantity of such article in excess of such quantity, as the 2[Stae Government] has, under section 5, declared to be the limit of sale by retails, except under a permit granted by the Excise Commissioner 1[or by an Excise Officer duly empowered] in taht behalf.

(2) Sub-Section (1) shall not extend to-

(a) any foreign liquor ( other than denaturd spirit) in the possession of any common carrier or warehouse man as such, or

(3) A licensed wendor shall not have in his possession at any place other than that authorised by his licence, any quality of any excisable article in excess of such quantity as the 2[State Government] has under section 5 declared to be the limit of sale by retail, except under a permit granted by the Excise Commissioner 1[or by an Excise officer duly empowered] in that behalf.

(4) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub section, the 2[State Government] may by notification in the 2[Official Gazette] prohibit or restrict the possession by any person or class of persons, or subject to such exceptions as may be specified in the notififcation by all persons in 2[those parts of the State of Rajasthan to which this Act extends] or any specified area or areas thereof, of any excisable either absolutely or subject to such conditions as it may prescribe.

आबकारी अधिनियम की धारा 54 का उल्लेख निम्नानुसार है :–

54. Penalty for unlawful import, export, transport manufacture, possession, etc.- Whoever, in contravention of this Act or of any rule, or order made or of any licence, permit or pass granted there under-

(a) imports, exports, transports, manufactures, collects, sells or possesses any excisable article; or

(b) cultivates any hemp plant (Cannabis sativa); or

(c) constructs or works any distillery, pot-still or brewery; or

(d) uses, keeps or has in his possession any materials, still, utensil, implements or apparatus whatsoever for the purpose of manufacturing any excisable article other than tari;or

(e) removes any excisable article from any distillery, pot-still [brewery] or warehouse established or licenced under this Act; or

(f) bottles any liquor for the purposes of sale; or

(g) taps or draws tari from an tari producing tree;

shall [be punishable with imprisomnent for a term which shall not be less than six months but which may extend to three years and with fine of twenty thousand rupees or five times of the loos of excise duty, whichever is higher;]

**एवं धारा 34(1)(डी) का उल्लेख निम्न प्रकार है :—**

"34.Power to cancel and suspend licences - (1) Subject to such restrictions as the [State Government] may prescribe, the authority granting any licence, permit or pass under this Act may cancel or suspend it -

(d) If the holder thereof is convicted of any offence punishable under this Act or any other law for the time being in force relating to revenue or of any cognizable and non-bailable offence or any offence punishable under the [Deangerous Durgs Act, 1930 [Central Act 11 of 1930] or any law relating to merchandise marks or of any offence punishable under sections 482 to 489 (both inclusive) of the Indian Penal Code, (xxx) or........"

18. आबकारी अधिनियम के तहत अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध बनाये गये अभियोग पर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुशलगढ (बांसवाडा) ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि :—

**"अतः मुल्जिम बसन्त पुत्र छगनलाल को धारा 19/54, 16/54 राजस्थांन आबकारी अधिनियम, 1950 के आरोप में दोषी करार दिया जाकर मुल्जिम को यह आदेश है, कि धारा 4(1) परिवीक्षा अधिनियम के तहत यदि वह एक वर्ष की अवधि का सदाचरण का बंध पत्र राशि रूपये 2000/— मात्र तथा इसी राशि का जमानतनामा इस आशय का पेश कर तस्दीक करावे, कि उक्त अवधि में वह सदाचारी रहेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर दण्ड भुगतने के लिये उपस्थित रहेगा, तो मुल्जिम के परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जावे।"**

लगातार.............11

19. अप्रार्थी संख्या 3 को माननीय न्यायालय में परीविक्षा पर रखा है जिस पर उनके विद्वान अभिभाषक श्री विश्नोई ने तर्क दिया कि चूंकि उनके मुवक्किल को अधिनियम की धारा 4 के तहत सदाचरण के बंधपत्र पर रिहा किया गया था अतः उक्त दोष सिद्धि, परीविक्षा अधिनियम की धारा के प्रावधानों के अनुरूप उसके किसी भी विधिक कृत्यों पर प्रतिकूलता का प्रभाव नहीं डालती है तदनुरूप :—

> "12 Removal of disqualification attaching to conviction.
>
> Nothwithstanding anything contained in any other law, a person found guilty of an offence and dealt with under the provision of section 3 or section 4 shall not suffer disqualification, if any attaching to a conviction of an offence under such law. "

20. चूंकि उक्त प्रावधान Notwithstanding anything contained in any other law अंकित होने से सभी विधियों पर प्रभावी है। अतः आबकारी आयुक्त ने उसको अनुज्ञापत्र हेतु अपात्र नहीं मानकर कोई भूल नहीं की है। अनुज्ञापत्र वर्ष 2016—17 हेतु आवेदन के सम्ब्न्ध में जारी निर्देश एवं शर्तों की बिन्दु संख्या 1 पात्रता के उप बिन्दु (घ) निम्नानुसार उल्लेखित है :—

> **"(घ) कोई भी व्यक्ति जिसके विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 अथवा इसकी धारा 34 में उल्लेखित अधिनियमों अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्स्टेंसेज एक्ट, 1985 के अंतर्गत गंभीर अपराध का कोई मामला दर्ज हो, अथवा उसमें सजायाब हुआ हो।"**

21. उपरोक्त शर्तानुसार आबकारी अधिनियम अथवा इसकी धारा 34 के अंतर्गत गंभीर अपराध का कोई मामला दर्ज हो अथवा सजायाब हो। यहां पर उल्लेखनीय है कि आबकारी आयुक्त द्वारा उप बिन्दु (घ) के प्रथम वाक्यांश आबकारी अधिनियम के तहत गंभीर अपराध को विशेष तौर पर उल्लेखित किया है जबकि "सजायाब" वाले वाक्यांश को परीविक्षा अधिनियम 12 का उल्लेख करते हुए आबकारी अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील पर निर्णय देते हुए अनुज्ञा पत्र प्राप्ति हेतु कोई अयोग्यता आरोपित नहीं होना मानकर अप्रार्थी संख्या 3 का अनुज्ञापत्र बहाल किया है। जबकि आबकारी अधिकारी का निर्णयांश निम्न प्रकार था :—

> **"नियम 76(बी) के अनुसार कपटपूर्वक अनुज्ञापत्र प्राप्त करने वाले को अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में श्री बसंतलाल ने झूठे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दोषसिद्ध का प्रकरण छुपाकर कपट से अनुज्ञापत्र प्राप्त करने की श्रेणी में आता है, को निरस्त किया जा सकता है इसी नियम 76(सी) के अनुसार जो कोई भी राजस्थान आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी (gulity) पाया जाता है तो उसका अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकता है।**

लगातार.............12

**इस प्रकरण में बसंतलाल ने स्वेच्छा से अदालत माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टट कुशलगढ में धारा 16/54 एवं 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 का अपराध स्वीकार किया है तथा अदालत द्वारा दोषसिद्ध करार किया गया है। चाहे उसे परिवीक्षा का लाभ दे दिया गया है परन्तु उसका दोषसिद्धि करार किया गया है। चाहे उसे परीविक्षा का लाभ दे दिया गया है परन्तु उसका दोषसिद्ध हो चुका है तथा उक्त नियम के तहत दोषसिद्ध होना ही अनुज्ञापत्र निरस्त करने के लिए पर्याप्त है।"**

22. आबकारी अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 12.04.2016 में अधिनियम की धारा 16/54 एवं 19/54 के अपराध की दोषसिद्धि को अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अनुज्ञापत्र की घोषणा 3 एव 4 में झूठी घोषणा पर हस्ताक्षर कर दोष सिद्धि के अपराध को छुपाकर कपट से अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के कारण धारा 34(1)(डी) सपठित नियम 76(बी) व (सी) तथा अनुज्ञापत्र की शर्त सं. 7.6 के तहत स्वीकृत अनुज्ञापत्र को निरस्त किया है।

23. प्रार्थिया के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त **(1990) 2 Supreme Court Cases 426 Union of India and others Vs Bakshi Ram Civil Appeal No. 1312 of 1990 decided dated 1 March, 1990** प्रतिपादित किया, जिसके सुसंगत तथ्य निम्न प्रकार है :–

**".........This clearly shows that the factum of guilt on the criminal charge is not swept away merely by passing the order releasing the offender on probation. Under Sections 3, 4 or 6 of the Act, the stigma continues and the finding of the misconduct resulting in conviction must be treated to be a conclusive proof. In these circumstances, therefore, we are ubable to accept the argument of thse reespondents that the order of the Magistrate releasing the offender on probation obliterates the stigma of conviction."**

24. उक्त तथ्यात्मक स्थिति पर यह पाया गया कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 12.04.2016 में अप्रार्थी संख्या 3 का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, उसका आधार अन्तिम रूप से यह लिया गया है कि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु जो घोषणा की गयी थी वह झूठी घोषणा पायी गयी थी, जिसमें अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा उसके विरूद्ध अपराध की दोषसिद्धि को छिपाया गया था एवं कपटपूर्वक अनुज्ञापत्र प्राप्त करने का कृत्य किया गया था। इस आधार पर धारा 34(1)(डी) सपठित नियम 76(बी) व (सी) के तहत अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 3 का प्रथम तर्क जो परीविक्षा अधिनियम की धारा 12 के आधार पर अयोग्यता

**लगातार.............13**

से सम्बन्धित है, वह सारहीन हो जाता है क्योंकि आबकारी अधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्र निरस्त करने का मूल आधार अपराध की दोषसिद्धि को छिपाने का लिया गया है, ना कि अयोग्यता सम्बन्धी आधार रखा गया है, जबकि आबकारी आयुक्त द्वारा पूरा प्रकरण धारा 12 एवं अप्रार्थी संख्या 3 की अपराध की गम्भीरता या सामान्य प्रकृति होने सम्बन्ध तथ्य पर निर्णय किया गया है जबकि आबकारी अधिकारी के आदेश में यह तथ्य गौण हो गया था। इस बिन्दु पर आबकारी आयुक्त द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

25. उपरोक्त तथ्यों, अधिनियम की धाराओं, प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्थाओं एवं विधिक प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए यह पाया जाता है कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2016 विधिक है एवं उसे आबकारी आयुक्त द्वारा निरस्त किया जाना विधिसम्मत नहीं है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाना छुपाया जाना प्रमाणित है एवं उस आधार पर आबकारी अधिकारी द्वारा पूर्ण विवेचन के साथ अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया था अतः आबकारी अधिकारी के आदेश दिनांक 12.04.2016 को विधिसम्मत ठहराया जाता है।

उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 3 को विवादित मदिरा दुकान आवंटित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

26. **परिणामस्वरूप आबकारी आयुक्त, उदयपुर द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 05.12.2016 को अपास्त किया जाता है एवं जिला आबकारी अधिकारी, बांसवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2016 को बहाल किया जाता है। साथ ही आबकारी आयुक्त एवं जिला आबकारी अधिकारी, बांसवाडा को निर्देश दिये जाते है. कि वे तुरन्त प्रभाव से प्रार्थिया श्रीमती कलावती पटेल को वित्तीय वर्ष 2016—17 के शेष दिवसों के लिये भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर, कुशलगढ को उक्त विवादित दुकान मय अनुज्ञापत्र आवंटित करें, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हों।**

27. निर्णय सुनाया गया ।

21/3/2017 21.3.2017

( के. एल.जैन ) ( मदन लाल )
सदस्य सदस्य